

TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY PART-IV
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LABOUR DEPARTMENT
5, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

F.12(142)/02/MW/Lab/ 7283

Dated: 19-2-2009.

ORDER

1. Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi revised minimum rates of wages in Scheduled Employments covered under the Minimum Wages Act, 1948 in the National Capital Territory of Delhi vide Notification No.F.12(1 to 29)/92/MW/Lab dated 15.02.1994.

2. And whereas, in the above mentioned notification, it was stipulated that the Dearness Allowance will be payable @ Re.1.00 per point rise or fall in the Consumer Price Index Numbers on the basis six monthly average index numbers of January to June and July to December.

3. And whereas, now, the Government of National Capital Territory of Delhi, after adjustment of the average Consumer Price Index Number for the period from July, 2008 to December, 2008, hereby declares the following Dearness Allowance, which shall be payable over and above the existing minimum rates of wages (including Dearness Allowance installments announced till date) fixed by the Order No.F.12(142)/02/MW/Lab/3852 dated 12.09.2008 for all the categories w.e.f. 1.02.2009.

IN ALL THE SCHEDULED EMPLOYMENTS
(For all categories)
Rs.251.00 per month

4. After this Dearness Allowance the minimum rates of wages applicable in the National Capital Territory of Delhi are as under:

4.1

Category	Rates as on 1.08.2008	Dearness Allowances w.e.f. 1.02.2009	Rates from 1.02.2009 (Rupees)	
	(Rupees)		(Rupees)	Per-Month
Un-skilled	3683.00	251.00	3934.00	151.00
Semi Skilled	3849.00	251.00	4100.00	158.00
Skilled	4107.00	251.00	4358.00	168.00

4.2 Clerical & Non-Technical Supervisory Staff

Category	Rates as on 1.08.2008	Dearness Allowances w.e.f. 1.02.2009 (Rupees)	Rates from 1.02.2009 (Rupees)	
	(Rupees)		Per-Month	Per-Day
Non-matriculates	3876.00	251.00	4127.00	159.00
Matriculates but not graduates	4131.00	251.00	4382.00	169.00
Graduates and above	4443.00	251.00	4694.00	181.00

N.B.:- Case of tampering with the order have come to our notice. Employers/Workers may confirm rates from Website of Labour Department-labour.delhi.govt.nic.in



(Piyush Sharma)

Joint Secretary (Labour)

Dated: 19-2-2009

F.12(142)/02/MW/Lab/ 7283

Copy forwarded to:-

1. Dy. Secretary, GAD, Government of Delhi, (2 Copies), for publication in Delhi Gazette Extraordinary part-IV in today's date.
2. Secretary of Govt. of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
3. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha Delhi.
5. Secretary to the Chief Minister, Government of Delhi.
6. Secretary to Minister of Transport, Tourism & Power, Government of Delhi
7. Secretary to Minister of Finance, Govt. of Delhi.
8. Secretary to Minister of Labour, Govt. of Delhi.
9. Secretary to Minister of Health & Family Welfare, Govt. of Delhi.
10. Secretary to Minister of Food & Civil Supplies, Govt. of Delhi.
11. Secretary to Minister of Education, Govt. of Delhi
12. Heads of all Departments, Govt. of NCT of Delhi.
13. Chief Labour Commissioner (c), Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
14. Secretary (Labour) of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan and U.T. Chandigarh.
15. General Secretary of Delhi State BMS, INTUC, CITU, ALTUC, H.M.S.
16. Secretary General of CII, FICCI, PHDCCI, ASSOCHAM with the request to circulate copies of this order to the local Employers Organizations with the directions that the revised minimum rates be paid to the workmen employed in their establishment. Copies of such circulars may be kindly be endorsed to this office.
17. District DLC's with 10 spare copies for distribution to local Trade Unions and Employer's Associations.
18. Dy. Secretary (Finance) Govt. of NCT of Delhi with the request to issue the necessary directions for workers employed in the offices of the Government of Delhi.

19. Regional Labour Commissioner (C), B Block, Curzon Road, Barracks, Kusturba Gandhi Marg, New Delhi.
20. Deputy Director, Minimum Wages Cell, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.
21. Joint Director, Labour Bureau, SCO 28-31, Sec-17A, Chandigarh-160017.
22. Librarian, Office of the Labour Commissioner, Delhi
23. AD (Planning & Statistics): Labour Department, Government of Delhi, for publication on the web-site of the Department, in the Labour Statistics and for laying on the table of the Vidhan Sabha.
24. Guard File.



Joint Secretary (Labour)

(दिल्ली के राजपत्र भाग-4 के असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
श्रम विभाग, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54

संख्या एफ 12(142)/02/एम डब्ल्यू/ लैब/7283 दिनांक 19-2.2009.

आदेश

1. जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें अधिसूचना संख्या एफ-12(1 से 29)/92 न्यू वे/लैब. दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा पुनरीक्षित की थी।
2. और जबकि, उपरोक्त अधिसूचना में यह अभिलिखित किया गया था कि महंगाई भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वृद्धि अथवा घटत होने पर 1.00 रूप. प्रति अंक की दर से, उक्त अधिसूचना के तहत निश्चित न्यूनतम मजदूरी दर के ऊपर, जनवरी से जून व जुलाई से दिसम्बर को औसत मूल्य सूचकांक पर समायोजित होगा।
3. और जबकि अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक औसत मूल्य सूचकांक का समायोजन करने के बाद एतद् द्वारा निम्नलिखित महंगाई भत्ते की घोषणा करती है, जो कि वर्तमान न्यूनतम मजदूरी की दरें (जिससे अब तक की महंगाई भत्ते की किश्तें शामिल हैं।) और जिन्हें आदेश संख्या 12(142)/02/एम. डब्ल्यू/लैब/3852/खंड-4 दिनांक 12.09.2008 द्वारा निश्चित किया गया था, के ऊपर, सभी श्रेणियों के लिए दिनांक 01 फरवरी 2009 से देय होगी:-

सभी अनुसूचित नियोजनों में

(सभी श्रेणियों के लिए)
रूपये 251.00 प्रतिमाह)

4. इस महंगाई भत्ते के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार हैं : -


श्रेणी	01-08-2008 से मजदूरी दरें (रूपये)	महंगाई भत्ता (प्रतिमाह)	01-02-2009 से संशोधित दरें (रूपये)	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	3683.00	251.00	3934.00	151.00
अर्द्धकुशल	3849.00	251.00	4100.00	158.00
कुशल	4107.00	251.00	4358.00	168.00

जारी.....

4.2 क्लेरिकल तथा नान टेक्नीकल सुपरवाइजरी स्टाफ : -

श्रेणी	01-08-2008 से मजदूरी (रूपये)	से दरें	महंगाई (प्रतिमाह)	भत्ता	01-02-2009 से संशोधित दरें (रूपये)	
					प्रतिमाह	प्रतिदिन
नान मैट्रीकुलेट	3876.00		251.00		4127.00	159.00
मैट्रीकुलेट लेकिन नान ग्रेजुएट	4131.00		251.00		4382.00	169.00
ग्रेजुएट व उसके ऊपर	4443.00		251.00		4694.00	181.00

टिप्पणी - आदेश में छेड़-छाड़ के मामले हमारी जानकारी में आए हैं। नियोजक / श्रमिक इन दरों की पुष्टि श्रम विभाग की वेबसाइट - labour.delhigovt.nic.in से कर सकते हैं।


 (पीयूष शर्मा)
 संयुक्त सचिव (श्रम)

संख्या एफ 12(142)/02/एम डब्ल्यू/ लैब/7283

दिनांक 19.2.2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित -

1. उप-सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. उप-राज्यपाल, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली के सचिव।
4. अध्यक्ष के सचिव, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली।
5. मुख्यमंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. यातायात मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. वित्त मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. श्रम मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
9. चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
10. खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
11. शिक्षामंत्री के सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ
13. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
14. सचिव श्रम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू.टी. चण्डीगढ़।
15. महासचिव, भा.म.संघ, ईटक, सीटू, एटक, एच.एम.एस.
16. महासचिव, सी आई आई, फिक्की, पी एच डी सी सी आई, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को प्रेषित की जाए, इस निर्देश के साथ कि सभी संस्थान अपने यहां कार्यरत श्रमिकों को संशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें।

17. जिला उप-श्रमायुक्त को दस अतिरिक्त कॉपियां, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए।
18. उप-सचिव (वित्त) रा. रा. क्षेत्र दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें।
19. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड़ बैरेक, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।
20. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
21. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस.सी.ओ., 28-31, सैक्टर-17 (ए), चण्डीगढ़-160017।
22. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
23. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाइट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए।
24. गार्ड फाइल।



संयुक्त सचिव (श्रम)